1213051

पत्र सं0-कम्प्यूटर-NIC कम्प्यूटराइजेशन (S/W)-(2012-13) / 608 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश
(आई0टी0-अनुभाग)
दिनांक // लखनऊ // सितम्बर, 20 , 2012

1- समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर
वाणिज्य कर , उत्तर प्रदेश
2- समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक)
वाणिज्य कर , उत्तर प्रदेश

कृपया मुख्यालय द्वारा जारी परिपत्र सं0-कम्प्यूटर-NICकम्प्यूटराईजेशन (S/W)-(2012-13) / 363 / 1213038 / वाणिज्य कर दिनांक 19 जुलाई , 2012 का संदर्भ लेने का कष्ट करें जिसके द्वारा आई0टी0सी0 के सत्यापन की व्यवस्था विनिर्दिष्ट की गयी है ।

उक्त के द्वारा यह निर्देश दिए गए थे कि मैनुअल रिटर्न दाखिल करने वाले समस्त व्यापारियों की रु0 10,000/- से अधिक मूल्य की खरीद एवं बिक्री की सूची इस हेतु विकसित किए गए Tool में उपलब्ध Excel sheet में बनायी जाएगी । इस सूची में केवल क्रेता / विक्रेता का टिन नम्बर तथा अदा / वसूल कर की धनराशि का विवरण होगा तथा यह सूची प्रत्येक माह व्यापारियों द्वारा दाखिल मासिक / त्रैमासिक रिटर्नों के आधार पर बनाते हुए अपलोड की जाएगी ।

दिनांक 12-9-2012 को मुख्यालय स्तर पर आहूत बैठक में जोनल एडीशनल कमिश्नर द्वारा यह बिन्दु उठाया गया कि रु0 10,000/- से अधिक की खरीद एवं बिक्री के संव्यवहार अत्यधिक होने के कारण उचित होगा कि इस सीमा को बढ़ाकर रु0 50,000/- कर दिया जाए ।

अत: उपरोक्त परिपत्र द्वारा निर्गत निर्देशों को संशोधित करते हुए " रु0 10,000/- से अधिक मूल्य की खरीद एवं बिक्री " के स्थान पर " रु0 50,000/- से अधिक की खरीद एवं बिक्री " शब्द प्रतिस्थापित किए जाते हैं । इस परिपत्र के अन्य निर्देश पूर्ववत ही रहेंगे ।

कृपया तदनुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें ।

यह पत्र कमिश्नर वाणिज्य कर के आदेश के क्रम में जारी किया जा रहा है ।

20.9.12
(योगेन्द्र कुमार)
एडीशनल कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर
मुख्यालय , लखनऊ

श्री गौड
Circular में IT अनुभाग Section में upload करें।
20/9/12
AC(IT)